न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **133/2025** अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
जुनिपर ग्रीन स्टेलर प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत सुनिल बोड़ा पुत्र ओमप्रकाश बोड़ा जाति ब्राहम्ण, निवासी वैशाली नगर, जयपुर		1. विक्रमसिंह पुत्र पता 2. मोहन कंवर पत्नी पता जाति वजीर, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री अभयसिंह राठौड़।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 16.10.2025

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार पूर्व में उभयपक्ष को सूचित किया जाकर तैयार किया हुआ होने एवं वादी अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल शिव के ग्राम शिव के खेत खसरा नम्बर 884/358 रकबा 3.7231 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	जुनिपर ग्रीन स्टेलर प्राईवेट लिमिटेड जरिये सुनिल बोड़ा पुत्र ओमप्रकाश बोड़ा जाति बोड़ा, निवासी हनुमान नगर वैशाली नगर, जयपुर	शिव	884/358	1.8615	बा.सो.	–	नारंगी
2	मोहन कंवर पत्नी पता हि. 1/2 जाति वजीर सा. देह खातेदार विक्रमसिंह पुत्र पता हि. 1/2 जाति वजीर सा. देह खातेदार	शिव	884/358	1.8616	बा.सो.	–	पीला

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:36:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)